

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 10, 1977 माघ 21, 1898

No 66] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 10, 1977/MAGHA 21, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 10th February 1977

S.O 159(E)/15/IDRA/77.—Whereas the industrial undertaking known as Messrs National Rubber Manufacturing Limited, Calcutta, is engaged in a scheduled industry, namely, Rubber Goods industry,

And, whereas, the Central Government is of the opinion that there has been a substantial fall in the volume of production in respect of the articles manufactured in the said industrial undertaking, for which, having regard to the conditions prevailing, there is no justification,

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of,—

Chairman

1. Dr S. P. Verma, Dy. Director General, Directorate General of Technical Development, New Delhi

Members

2. Shri M. K. Kar Gupta, Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, Calcutta
3. Shri A. K. Biswas, Chartered Accountant, Messrs Mukherjee, Biswas and Pathak, Calcutta.

2 The above body shall submit its report within a period of five weeks from the date of publication of this Order in the Official Gazette

[No F. 2(24)/76-CUC]

उद्योग मंत्रालय**(औद्योगिक विकास विभाग)****आदेश**

नई दिल्ली, 10 फरवरी 1977

सा० फा० 159 (अ)/15/आई डी आर ए/77.—मैसर्स नेशनल रबर मैनुफैक्चरर्स लि०, कलकत्ता, नामक औद्योगिक उपक्रम अनुपुचिन उद्योग अर्थात् रबर के सामान के उद्योग में लगा है।

श्रीर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम में विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा में पर्याप्त कमी हुई है जो विद्यमान दशाओं को ध्यान में रखने हुए व्यापारिक नहीं है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस मामले की परिस्थितियों का समस्त और सम्पूर्ण अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का एक निहाय नियुक्त करती है, जिसमें निम्न-लिखित व्यक्ति होंगे :—

प्रध्यक्ष

1. डा० एस० पी० वर्मा,
उप-महानिदेशक,
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
नई दिल्ली।

सदस्य

2. श्री एम० के० कार गुप्ता,
सचिव,
बंद और दण्ड उद्योग विभाग,
पश्चिमी बंगाल सरकार,
कलकत्ता।
3. श्री ए० के० विश्वास,
चाटई एकाउन्टेन्ट,
मे० मुखर्जी, विश्वास एण्ड पाठक,
कलकत्ता।

2. उक्त निहाय इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच पन्नाह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[सं० फा० 2 (24)/76-सी० यू० सी०]

S.O. 160(E)/15/IDRA/77.—Whereas the industrial undertaking known as Messrs Inchek Tyres Limited, Calcutta, is engaged in a scheduled industry, namely, Rubber Goods industry,

And, whereas, the Central Government is of the opinion that there has been a substantial fall in the volume of production in respect of the articles manufactured in the said industrial undertaking, for which, having regard to the conditions prevailing, there is no justification,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of.—

Chairman

1. Dr S P. Verma, Dy Director General, Directorate General of Technical Development, New Delhi.

Members

2. Shri M. K Kar Gupta, Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, Calcutta
3. Shri A. K. Biswas, Chartered Accountant, Messrs Mukherjee, Biswas and Pathak, Calcutta.

2. The above body shall submit its report within a period of five weeks from the date of publication of this Order in the Official Gazette

[No. F. 2(24)/76-CUC]

A. K. GHOSH, Addl Secy

का० आ० 160 (अ)/15/आई० डी० आर० ए०/77.—मैसर्स इन्चेक टायर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योगों अर्थात् खर के सामान के उद्योग में लगा है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम में विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा में पर्याप्त कमी हुई है जो विद्यमान दशाओं को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित नहीं है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस मामले की परिस्थितियों का समस्त और सम्पूर्ण अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

अध्यक्ष

1. डा० एस० पी० वर्मा,
उप-महानिदेशक,
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
नई दिल्ली ।

सदस्य

2. श्री एम० के० कार गुप्ता,
सचिव,
बन्द और रुग्ण उद्योग विभाग,
पश्चिम बंगाल सरकार,
कलकत्ता ।

3. श्री ए० के० विश्वास,
 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट,
 मै० मुखर्जी, विश्वास एण्ड पाठक,
 कलकत्ता ५

2. उक्त निकाय इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

[स० फा० 2(24)/76-सी०यू०सी०]

ए० के० घोष, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
 मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
 NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977